



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05122025-268277
CG-DL-E-05122025-268277

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5439]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 5, 2025/अग्राहायण 14, 1947

No. 5439]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 5, 2025/AGRAHAYANA 14, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5627(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3727 तारीख 13/08/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उड़ीसा राज्य के जाजपुर जिले में NH53 के कि.मी. 0 से कि.मी. 21.4 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरण / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख २७.०८.२०२५ को “थे टाइम्स ओफ इंडिया” , २७.०८.२०२५ को “प्रतिदिन” दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य के जाजपुर जिले में NH53 के कि.मी. 0 से कि.मी. 21.4 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उड़ीसा			जिले का नाम: जाजपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: धर्मशाला					
गांव का नाम: कांतिगाडिया - 897					
1	2629	निजी	घराबरी	0.0210441	ममाता महापात्र, डबल्यू/ओ- केदारनाथ दश 2629
तालुक का नाम: दर्पण					
गांव का नाम: बंदरेस्वर-1219					
2	1	निजी	सरद जल-1	0.0048563	जालिसन बीबी डबल्यू/ओ- गोलम रसुल 1
3	2	निजी	सरद-1	0.0060704	नियाली सिंघ, खगेश्वर सिंघ, हरलाल सिंघ ऍस्/ओ- जगन्नाथ सिंघ 2
4	4	निजी	सरद-1	0.0207406	तैतुल मस्जिद बीजे बौजंगा मरफत ,ऍस्के

					गोलम महामद ऐस्/ओ- ऐस्के रोसिन महामद 4
5	8	निजी	जलासय-1	0.0054431	तैतुल मस्जित बीजे बौजंगा मरफत, ऐस्के फकुन ऐस्/ओ- ऐस्के बौरी, ऐस्के हालीमापी, ऐस्के जमीरा. जैरुद्दीन खान ऐस्/ओ- मनीरुद्दीन खान, अब्दुल जबर खान ऐस्/ओ- हालिम खान 8
6	9	निजी	रस्ता	0.0088426	कैबल्य कुमार स्वाइन ऐस्/ओ- दामोदर स्वाइन 9
गांव का नाम: मतकतपुर-1220					
7	1687	निजी	सरद	0.0047552	अकबर अल्ली, उस्मान अल्ली ऐस्/ओ- मोती बुल्ला, ऐस्के गरीबुल, ऐस्के गफुर, ऐस्के अब्दुल्ला ऐस्/ओ- ऐस्के राजू, ऐस्के महामद अल्ली ऐस्/ओ- ऐस्के सानुल 1687
8	1688	निजी	घराबरी	0.0166936	अकबर अल्ली, उस्मान अल्ली ऐस्/ओ- मोती बुल्ला, ऐस्के गरीबुल, ऐस्के गफुर, ऐस्के अब्दुल्ला ऐस्/ओ- ऐस्के राजू, ऐस्के महामद अल्ली ऐस्/ओ-

					एँस्के सानुल 1688
गांव का नाम: बाउजंग-1217					
9	1173	निजी	घराबरी	0.0008094	जालिसन बीबी डबल्यू/ओ- गोलम रसुल 1173
Total				0.0892553	

[फा. सं. Cha/Paradip/8Lane/LA/3(a)/Kujanga/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2025

S.O. 5627(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **3727 Dated:13/08/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH53 in the stretch of land from Km. 0 to Km. 21.4 in the district of Jajpur in the state of ODISHA

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Times of India” dated 27/08/2025, “Pratidin” dated 27/08/2025; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH53 in the stretch of land from Km. 0 to Km. 21.4 in the district of Jajpur in the state of ODISHA

State: ODISHA			District: Jajpur		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Dharmasala					
Village: Kantigadia - 897					
1	2629	Private	Gharabari	0.0210441	Mamata Mahapatra, W/o- Kedarnath Dash 2629
Taluk: Darpan					
Village: Bandareswor-1219					
2	1	Private	Sarad Jal-1	0.0048563	Jalison Bibi W/o- Golam Rasul 1
3	2	Private	Sarad-1	0.0060704	Niali singh, Khageswar Singh, Harlal Singh S/o- Jagannath Singh 2
4	4	Private	Sarad-1	0.0207406	Taitul Masjid Bije Baujanga Marfat ,Sk Golam Mahamad S/o- Sk Rosin Mahamad 4
5	8	Private	Jalasaya-1	0.0054431	Taitul Masjit Bije Baujanga Marfat, SK Fakun S/o- Sk Bauri, Sk Halimapi, Sk Jamira. Jairuddin Khan S/o- Maniruddin Khan, Abdul Jabar Khan S/o- Halim Khan 8
6	9	Private	Rasta	0.0088426	Kaibalya Kumar Swain S/o- Damodar Swain 9
Village: Matkatpur-1220					
7	1687	Private	Sarad	0.0047552	Akbar Alli, Usman Alli S/o- Moti Bulla, Sk Garibul, Sk Gafur, Sk Abdulla S/o- Sk

					Raju, Sk Mahamad Alli S/o- Sk Sanul 1687
8	1688	Private	Gharabari	0.0166936	Akbar Alli, Usman Alli S/o- Moti Bulla, Sk Garibul, Sk Gafur, Sk Abdulla S/o- Sk Raju, Sk Mahamad Alli S/o- Sk Sanul 1688
Village: Baujang-1217					
9	1173	Private	Gharabari	0.0008094	Jalison Bibi W/o- Golam Rasul 1173
Total				0.0892553	

[F. No. Cha/Paradip/8Lane/LA/3(a)/Kujanga/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director